



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 23.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-तरवा: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 22.05.2025 को उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त छोटू सिंह उर्फ द्रविड़ प्रताप सिंह S/O जितेन्द्र प्रताप सिंह R/O महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को कबूतरा महुवारी सरहद नदी के पास से समय करीब 14.00 बजे एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 126/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. छोटू सिंह उर्फ द्रविड़ प्रताप सिंह S/O जितेन्द्र प्रताप सिंह R/O महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

पूर्व का आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 115/25 धारा-115(2),351(3),352 बीएनएस थाना तरवां, आजमगढ़

02. मु0अ0सं0 126/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ़

बरामदगी-

01. एक अदद देशी तमंचा नाजायज .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2. उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

3. का0 महेश यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़,

4. का0 सौरभ सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़



02.थाना-पवई:-अवैध तमंचा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 22.05.25 को उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त गोविन्द शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम जमुहट थाना पवई जनपद आजमगढ़ को प्रतापपुर नहर से भानीपुर गांव की तरफ जाने वाले रोड पर समय करीब 09.25 बजे एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 154/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 154/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. गोविन्द शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम जमुहट थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 मनीष मिश्रा थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. का0 सुरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 कपिल सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ़



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्षन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए *आजीवन कारावास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के 1 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 16.06.2012 को वादी मुकदमा श्री दिनेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी बिनैली थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ प लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 15.06.2012 को वादी व उसके चचेरे भाई को विपक्षी *1. मुन्नाराम पुत्र परशुराम 2. सोनूराम पुत्र परशुराम 3. लालचन्द राम पुत्र सुखराम 4. महेन्द्र सिंह पुत्र कान्ता सिंह 5. हरिश्चन्द्र पुत्र सुखराम 6. जाकिर पुत्र परशुराम 7. विजय पुत्र परशुराम 8. अश्वनी उर्फ गुडडू पुत्र परशुराम 9. पंकज पुत्र विजय 10. मनोज पुत्र परशुराम समस्त निवासीगण मौजा रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी डण्डे व धारदार हथियार से मारकर घायल कर देना जिससे ईलाज के दौरान वादी के चचेरे भाई की मृत्यु हो गयी।*

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 145/2012 धारा-147,148, 149, 307, 302,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मुन्नाराम पुत्र परशुराम 2. सोनूराम पुत्र परशुराम 3. लालचन्द राम पुत्र सुखराम 4. महेन्द्र सिंह पुत्र कान्ता सिंह 5. हरिश्चन्द्र पुत्र सुखराम 6. जाकिर पुत्र परशुराम 7. विजय पुत्र परशुराम 8. अश्वनी उर्फ गुडडू पुत्र परशुराम 9. पंकज पुत्र विजय निवासीगण मौजा रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषमुक्ति किया गया तथा *अभियुक्त मनोज पुत्र परशुराम निवासी मौजा रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.05.2025, जनपद आजमगढ़

*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग बच्ची को बाग में अकेला पाकर छेड़खानी करने के 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 03.02.2016 को वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रेमलता पत्नी रामकृत निवासी ग्राम अहिरौली थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी कि दिनांक- 28.01.2016 को समय करीब 16.00 बजे वादिनी की पुत्री मालती उम्र 08 वर्ष जो गाव के बगीचे में लकड़ी बी रही थी उसी समय अभियुक्त सख्त चौहान पुत्र जगरूप निवासी मटही (मसुआ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर बगल के अपने ट्यूबल पर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया पुत्री के रोने व शोर मचाने पर छोड़ दिया, जब वादिनी ने इसकी शिकायत की तो वादिनी को जाति सूचक शब्दों द्वारा गाली देकर भगा दिया।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 23/2016 धारा-354,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)10 Sc/ST Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त सख्त चौहान पुत्र जगरूप निवासी मटही (मसुआ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *02 आरोपी अभियुक्त* को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए *प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000-6000 रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।

***थाना सिधारी पर* गैर इरादतन *हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000-6000 रुपये अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 19.01.2004 को वादी मुकदमा श्री संजय कुमार पुत्र सख्तनाथ निवासी खोजापुर चकडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 19.01.2004 को अभियुक्तों *1.रुदल राम पुत्र स्व0 सुधई राम 2. ध्यानचन्द पुत्र स्व0 सुधई राम निवसीगण खोजापुर चकडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा* ईंट रखने व रास्ता रोकने के विवाद को लेकर गाली गुप्ता देते हुए मुझे व मेरे भाभी फूलमती व गुलाबी देवी को लाठी डण्डे से मारे पीटे जिससे काफी चोट आयी, दौराने ईलाज गुलाबी देवी की मृत्यु हो गयी।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 02/2004 धारा-304, 323, 504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0-01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों *1.रुदल राम पुत्र स्व0 सुधई राम 2. ध्यानचन्द पुत्र स्व0 सुधई राम निवसीगण खोजापुर चकडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000-6000 रुपये अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।

